मारवनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

बी-38, विकास-भवन, डाक भवन के सामने, प्रेस कॉम्पलेक्स,

जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011, फोनः +91 (755) 2574518

Website : www.mcnujc.ac.in

रजत जयंती वर्ष

बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु
निविदा सूचना

विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के सभी बैंक खातों का रिकन्सीलेशन कार्य दो पृथक-पृथक चरणों में कराया जाना है :-

1. वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि में कुल 04 बैंक खातों का बैंक रिकन्सीलेशन संबंधी कार्य।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 से कुल 15 बैंक खातों का सतत् बैंक रिकन्सीलेशन संबंधी कार्य।

उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय की ओर से न्यूनतम दर ₹ 800 /- प्रतिमाह प्रतिबैंक निर्धारित की गई है। वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि का बैंक रिकन्सीलेशन कार्य 06 से 08 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा।

बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु भोपाल स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मस् से मोहर बंद लिफाफों में दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अंतिम तिथि 15 मई, 2017 निर्धारित की जाती है।

बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु संबंधित बैंक खातों की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, लेजर, कैश-बुक आदि का अवलोकन एवं कार्य संबंधी जानकारी का वैल्यूम (Volume) सुनिश्चित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय वित्त विभाग से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु फर्म के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दर एवं फर्म के कार्य की गुणवत्ता के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा शर्तों की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.mcnujc.ac.in पर देखी जा सकती है।

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

बी-38, विकास-भवन, डाक भवन के सामने, प्रेस कॉम्पलेक्स,

जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल – 462011, फोनः +91 (755) 2574518

Website : www.mcnujc.ac.in

रजत जयंती वर्ष

बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु
निविदा सूचना की शर्तें

1. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म के पंजीयन को न्यूनतम 03 वर्ष पूर्ण हो चुके हों।
2. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म साझेदारी फर्म का होना आवश्यक है। जिसमें कम से कम 03 साझेदार अवश्य हों।
3. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म का न्यूनतम टर्नओवर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होना आवश्यक है।
4. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म को शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम एवं मंडलों के बैंक रिकन्सीलेशन कार्य का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
5. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म का मुख्यालय भोपाल में होना आवश्यक है।
6. विश्वविद्यालय बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु निविदाकर्ता सनादि लेखाकार फर्म को पूर्व लंबित बैंक रिकन्सीलेशन कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा देय शुल्क से 10 प्रतिशत विलंब शुल्क की कटौती की जावेगी।
7. बैंक रिकन्सीलेशन कार्य कर पूर्ण विवरण सहित पारित किए जाने वाली प्रविष्टियों का विश्वविद्यालय के लेखों में कराए जाने की जिम्मेदारी सनादि लेखाकार फर्म की होगी।
8. पूर्व वर्षों के लंबित बैंक रिकन्सीलेशन कार्य एवं वर्तमान वर्ष से संबंधित बैंक रिकन्सीलेशन कार्य हेतु पृथक-पृथक टीम बनायी जाना अनिवार्य होगा। जिसके अंतर्गत प्रत्येक टीम में 01 सीए और 02 सहायकों को सम्मिलित किया जाए।
9. निविदा 15 मई, 2017 दोपहर 12:00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा 15 मई, 2017 को दोपहर 03:30 बजे कांफ्रेंस हॉल-पंचम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कुलसचिव